समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक ..../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सिंहेश्वर।

मधेपुरा, दिनांक ..../

विषय :- **डीजल अनुदान के प्राप्त आवेदनों तथा वितरित किए गए लाभुकों के आवेदन के साथ संलग्न डीजल क्रय के कैश-मेमो की जाँच के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर, सिंहेश्वर, मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा एवं उदाकिशुनगंज द्वारा डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त राशि का उपावंटन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा रेण्डमली सिंहेश्वर प्रखंड के डीजल अनुदान की माँग करने वाले किसानों के आवेदनों एवं संलग्न डीजल क्रय के कैश-मेमो की जाँच की गई। जाँच प्रतिवेदन से निम्नांकित तथ्य उजागर हुए हैं :-

(i) डीजल अनुदान के लिए प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न डीजल क्रय का कैश मेमो, जो बाबा सिंहेश्वर फ्यूल सेंटर, सिंहेश्वर का है, वह फर्जी है। इसकी पुष्टि पेट्रोल पम्प के प्रबंधक द्वारा भी की गई है।

(ii) पेट्रोल पम्प प्रबंधन द्वारा कैश मेमो की दो पंजी एह ही साथ संधारित की जा रही है। एक पंजी की सहायता से बैक डेटिंग द्वारा डीजल क्रय का कैश मेमो किसानों को निर्गत किया जा रहा है।

(iii) कैश मेमो पर किसान का नाम अंकित नहीं पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहेश्वर के साथ-साथ अन्य सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि

(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी डीजल सब्सीडी मद के लिए लंबित आवेदनों का एक बार विस्तृत जाँच करने के बाद ही अतिरिक्त आवंटन की मांग करें।

(ख) प्र0वि0 पदाधिकारी संबंधित कृषि सलाहकार एवं कृषि पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की मांग कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) वितरित सब्सीडी की भी जाँच की जाय और यदि फर्जी तरीके से भुगतान पाया गया है तो वसूली समेत अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक ....31...../आ0 प्र0 मधेपुरा दिनांक ....7.2.15.....

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (सिंहेश्वर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अंदर सभी लंबित आवेदनों की जाँच कर संतुष्ट हो लें तब आवश्यक राशि के उपावंटन की माँग करे।

प्रतिलिपि : जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/15

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।